



दि नैनीताल बैंक लि.

ई-नीलामी सूचना

शाखा - रामराज रोड, बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) फोन : 05949-281050 E-mail: bazpur@nainitalbank.co.in

सरकाएसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी माध्यम से आस्तियों की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द नैनीताल बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों मैसर्स दिव्यांशी सीड्स एवं जमानतियों 1. श्रीमती कमलेश रानी पत्नी श्री मनोहर लाल शर्मा, 2. श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री हरवंश लाल, से मांग नोटिस दिनांक 14.03.2019 में उल्लिखित राशि रु. 2,26,98,409.00 (रुपये दो करोड़ छब्बीस लाख अठानवे हजार चार सौ नौ मात्र) (दिनांक 15.03.2019 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च) का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुगतागन करने को कहते हुए 14.03.2019 को एक माँग राशि की थी। जबकि लखनऊ कथित माँग सूचना में माँगी गयी राशि का बैंक के पुनर्मुगतागन करने में असफल रहे, अतः बैंक ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्ति (यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली हेतु उसकी बिक्री के अधिकार सहित यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 13.11.2019 को कब्जा कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्ति (यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती (यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री भावी ब्याज, लागत तथा व्ययों सहित निम्न तालिका में वर्णित राशि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड अर्थात् प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है", "जो भी है वही है" तथा "उपचार रहित" आधार पर की जायेगी। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से सार्वजनिक -नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कबूत बकाया, वसूली को घटाकर, यदि कोई हो	कब्जे की स्थिति	ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य ईएमडी
1. मैसर्स दिव्यांशी सीड्स, शर्मा पेल्लेस के पास, मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड (कर्जदार)। 2. श्री पुनीत शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरजीत लाल शर्मा, नि 0 ग्राम केशोवाला, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड (कर्जदार)। 3. श्रीमती मिनाक्षी शर्मा पुत्री स्व. श्री सुरजीत लाल शर्मा, नि 0 ग्राम केशोवाला, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड एवं दूसरा पता : मुंडिया मोनी, बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड (कर्जदार)। 4. कमलेश रानी पत्नी मनोहर लाल शर्मा, नि 0 शर्मा फार्म, ग्राम केशोवाला, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर (जमानती) 5. श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री हरवंश लाल, नि 0 ग्राम ढोलपुर, पोस्ट खानपुर, तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर (जमानती)	1. बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता नं. 141, खसरा नं. 263, ग्राम मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में स्थित है। क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर। सम्पत्ति उप निबन्धक बाजपुर के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 1490, पेज नं. 75 से 94, क्रमांक 764 दिनांक 21.01.2013 को सुखदेव राज पुत्र राम प्रकाश ने कमलेश रानी पत्नी स्व. सुरजीत लाल शर्मा के नाम पर निष्पादित की है। सीमाएं - पूरब में मलेरीया रोड, पश्चिम में गौतम शर्मा का प्लॉट, उत्तर में 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में सुभाष शर्मा का प्लॉट। 2. बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता नं. 270, खसरा नं. 266, ग्राम मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में स्थित है। क्षेत्रफल 0.171 हेक्टेयर। सम्पत्ति उप निबन्धक बाजपुर के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 1490, पेज नं. 29 से 42, क्रमांक 761 दिनांक 21.01.2013 को सुखदेव राज पुत्र राम प्रकाश ने कमलेश रानी पत्नी स्व. सुरजीत लाल शर्मा के नाम पर निष्पादित की है। सीमाएं - पूरब में सुरेशी शर्मा का प्लॉट, दक्षिण में 4 मीटर चौड़ी सड़क। 3. बंधक अकृषक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता नं. 109, खसरा नं. 273, ग्राम मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में स्थित है। क्षेत्रफल 0.316 हेक्टेयर। सम्पत्ति उप निबन्धक बाजपुर के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 2067, पेज नं. 223 से 238, क्रमांक 382 दिनांक 16.01.2015 को कैलाश रानी पत्नी जनक राज शर्मा, जितेन्द्र शर्मा पुत्र जनक राज शर्मा एवं विक्रम शर्मा पुत्र जनक राज शर्मा ने मीनाक्षी शर्मा पुत्री सुरजीत लाल शर्मा के नाम पर निष्पादित की है। सीमाएं - पूरब में 4 मीटर चौड़ा हाटा एवं कमलेश रानी का प्लॉट, पश्चिम में जोगेन्द्र सिंह का प्लॉट, उत्तर में कमलेश रानी का प्लॉट, दक्षिण में जोगेन्द्र सिंह का प्लॉट।	14.03.2019 13.11.2019	भौतिक	खाता संख्या : 009 9002 आईएफएससी कोड : NTBLOBAZ009 अथवा दि नैनीताल बैंक लि 0 के नाम से एवं बाजपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक की बाजपुर शाखा में जमा किया जाये	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 17.03.2021 सायं 04:00 बजे तक ई-नीलामी : 18.03.2021 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	12.03.2021 प्रातः 10.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक	सम्पत्ति सं 0-1 ₹ 70.00 लाख (रुपये सत्तर लाख मात्र) ₹ 7.00 लाख (रुपये सात लाख मात्र) ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) सम्पत्ति सं 0-2 ₹ 171.00 लाख (रुपये एक करोड़ इक्कतर लाख मात्र) ₹ 17.10 लाख (रुपये सत्तर लाख दस हजार मात्र) ₹ 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) सम्पत्ति सं 0-3 ₹ 79.00 लाख (रुपये उनसौ लाख मात्र) ₹ 7.90 लाख (रुपये सात लाख नब्बे हजार मात्र) ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)

ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तों सहित अधिक विवरण के लिए इच्छुक सभी भागीदारों/बोलीदाताओं से वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> तथा www.nainitalbank.co.in (बैंक की साइट) देखने का निवेदन किया जाता है और अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों, ई-नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया के लिए बैंक के सेवा प्रदाता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री चिन्तन भट्ट, सम्पर्क नम्बर 9978591888 तथा ई-मेल : chintan.bhatt@auctiontiger.net पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के लिए सांविधिक 30 दिवसीय बिक्री सूचना है।

स्थान : बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर

दिनांक : 12.02.2021

प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड